न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **149/17 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2017/00421

अनवान्

1. श्री देवा पिता भजा डांगी निवासी घासा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारू पिता भजा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री भजा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
3. पटवारी पटवार हल्का घासा, तह.मावली।
4. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली, तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 05.04.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 4825, 4871, 4872 किता 3 रकबा 2 बीघा 11 उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 5/12 हिस्सा, विपक्षी सं. 1 का 6/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा दर्ज हैं। मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 2642, 2657, 2658 किता 3 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 5/12 हिस्सा, विपक्षी सं. 1 का 6/12 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 का 1/12 हिस्सा दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित जमीन जो संयुक्त शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम से हिस्सेनुसार दर्ज है तथा परन्तु मौके पर बंटवाडा नहीं कर रखा हैं, जिस पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित जमीन जो मुझ प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हिस्से से दर्ज है, परन्तु रेकार्ड अनुसार बंटवाडा नहीं होने से मुझ प्रार्थी को असुविधा उत्पन्न हो रही है व वाद में वर्णित आराजीयात को विकसित करने में भी असुविधा उत्पन्न हो रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:15 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा कराये बिना विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात का बढीया व उपजाउ हिस्सा विक्रय करने पर आमादा है, जिसका विपक्षी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं हैं।
4. यह कि विपक्षीगण बिना बंटवाडा कराये उक्त आराजीयात में नया निर्माण कार्य कर इसकी वर्तमान स्थिति बदलने पर आमादा है तथा बिना बंटवाडा कराये विपक्षीगण को कोई नया निर्माण कार्य करने तथा उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा विपक्षीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वाद में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे ना ही अन्य से करावे तथा उक्त वर्णित आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर बदल नहीं करें।
5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी के संयुक्त हिस्सेनुसार कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं। इसलिए मैं प्रार्थी उक्त जमीन का अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतंत्र रूप से दर्ज कराने का अधिकारी हैं।
6. यह कि मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण को दिनांक 10.09.2017 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो विपक्षीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया व वादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने की धमकी दी, जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.09.2017 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जार हैं।
7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अपने एजेन्ट से करावे तथा न ही उक्त आराजीयात में ट्रेक्टर व कृषि यंत्र से खुर्द–बुर्द तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करे, तथा उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे न ही अपने किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट के मार्फत करावे तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात का शांति पूर्ण उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।
8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:15 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाडा होकर प्रार्थी व विपक्षी हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा हिस्से व कब्जे अनुसार कब्जे को प्राथमिकता देते हुए किया जावे तो विपक्षी को कोई उजर एतराज नहीं हैं। विपक्षी को अपने हिस्से व कब्जे की आराजीयात को बेचने व विक्रय करने का पुरा हक व अधिकार हैं। विपक्षी को अपने हक व हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने का पुरा हक व अधिकार है तथा दपने हक व हिस्से की आराजीयात को रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय, हस्तान्तरण करने का पुरा हक व अधिकार है प्रार्थी विपक्षी को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अपने हक व हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने या विक्रय हस्तान्तरण करने के लिए पाबंद नहीं करा सकता है तथा प्रार्थी व विपक्षी सहखातेदार है इसलिए भी कानुनन प्रार्थी विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकता हैं।

9. यह कि वाद वर्णित आराजीयात का प्रार्थी व विपक्षी सहखातेदार है इसलिए प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा जब प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस ही नहीं है तो प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन का बिन्दु होने का प्रश्न ही नहीं उठता है इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी व विपक्षी के मध्य हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाडा करा राजस्व रेकार्ड में अलग अलग प्रार्थी व विपक्षी के नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्व दिनांक 10.09.2017 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ था प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने के लिए झुठा व मनगढंत वाद कारण बताया हैं।

10. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रार्थना अस्वीकार है प्रार्थी व विपक्षी के संयुक्त खातेदारी होने से प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:15 IST
Reason: SelfAttested

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा का वाद प्रस्तुत

किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 खातेदार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बंटवाडे का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बंटवाडे हेतु विपक्षी सं. 1 द्वारा भी सहमति व्यक्त की हैं। विपक्षी सं. 1, 2 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार है। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:15 IST
Reason: SelfAttested